

राजस्थान सरकार  
उपभोक्ता मामले विभाग

एफ 89(16) उ.मा.वि./भर्ती प्रकोष्ठ/2022

जयपुर, दिनांक: 13-03-2023

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा-28 उप धारा (2) खण्ड (क) के अनुसरण में और उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को उनके सम्मुख अंकित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग (जिला आयोग) का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करती है :-

क्र.सं.	नियुक्त अध्यक्ष का नाम	पुरुष/महिला	नाम जिला आयोग
1.	श्री अभिमन्यु सिंह राठी	पुरुष	मिरोही
2.	श्री अनुराग शौतम	पुरुष	कोटा
3.	श्री मनोज कुमार मील	पुरुष	झुन्डू
4.	श्री कैलाश कुमार अग्रवाल	पुरुष	अनवर
5.	श्री ग्यारसीलाल मीना	पुरुष	जयपुर द्वितीय
6.	श्री देवेन्द्र मोहन माथूर	पुरुष	जयपुर तृतीय
7.	श्री नरसिंहदास व्यास	पुरुष	नासौर
8.	श्री जशोक शर्मा	पुरुष	बांसवाड़ा
9.	श्री शिवशंकर	पुरुष	हनुमानगढ़
10.	श्री मुवे सिंह	पुरुष	जयपुर प्रथम
11.	श्री प्रकाश कुमार	पुरुष	प्रतापगढ़
12.	श्रीमती कीर्ति जैन	महिला	सवाईमाधोपुर

उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों एवं निबंधनों के अधीन होगी :-

- उक्त नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा अन्य आदेश तक जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये है।
- उक्त नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले, -
  - अपनी संपत्ति और अपनी देनदारियों और वित्तीय और अन्य द्धियों की घोषणा करेगा;
  - उसकी मेडिकल फिटनेस के सम्बन्ध में निर्धारित संलग्न प्रपत्र में जिला स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के सिविल सर्जन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मूल शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा;
  - अपने पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होगा, जिनमें अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो;
  - यदि अभिभाषक वर्ग में है तो कार्यभार संभालने की तिथि से पूर्व एवं नियुक्ति अवधि के दौरान तक की अवधि के लिये अपनी सरदर/रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र का निलंबन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा;
  - यदि जिला न्यायालय के कार्यकारी पीठासीन अधिकारी या किसी अधिकरण में समकक्ष स्तर या जिला न्यायालय और अधिकरण के साथ संयुक्त रूप में काम करने वाले न्यायिक अधिकारी है तो सक्षम अधिकारी से जारी मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा;
  - यदि किसी शासकीय आयोग/न्यायाधिकरण में किसी पद पर नियुक्त होकर कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी से जारी मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा;
  - उसकी जन्मतिथि के समर्थन में मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, विवाह का प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रस्तुत करेगा और मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कराएगा; और
  - निर्धारित प्रपत्र में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और सदस्यता लेगा।
- उक्त शर्त की पाबन्दी नहीं करने वाले व्यक्ति को पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- उक्त नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को मानदेय/वेतन और भत्ते, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ते तथा चिकित्सा उपचार हेतु अवकाश और अस्पताल की सुविधा इत्यादि Rajasthan Consumer Protection (Salary, Allowances and Conditions of Service of the President and Members of the State Commission and District Commission) Rules, 2021 के प्रावधानों के अनुसरण में देय होंगे;
- उक्त नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, -
  - राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों के लिए निर्धारित प्रत्येक कार्य दिवस के दौरान कार्यकारी समय में उसके पदस्थापन कार्यालय में उपस्थित रहेगा;
  - बिना अवकाश स्वीकृत करार अथवा बिना सूचना स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं रहेगा।
- उक्त नियुक्त व्यक्तियों में से अभिभाषक वर्ग का व्यक्ति उसकी नियुक्ति के कार्यकरण या नियुक्ति अवधि के दौरान तथा पद से हटने के बाद, जैसा भी लागू हो, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला आयोग के समक्ष वह अभिभाषक की क्षमता में कार्य (प्रेजिडेंट) नहीं करेगा।
- उक्त नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, उसकी नियुक्ति के कार्यकरण या नियुक्ति अवधि के दौरान और उसके पदस्थापन की क्षमताओं में कार्य करते हुए-
  - कोई लाभ का पद अथवा अन्य नियुक्ति ग्रहण नहीं करेगा;
  - यदि पूर्व से ही किसी लाभ के पद अथवा सेवा में नियोजित है, तो वह इस प्रकार के पद अथवा

- नियुक्त पर कार्य नहीं करेगा;
- (3) कोई माध्यम्यता कार्य नहीं करेगा;
  - (4) किसी भी व्यावसायिक सेवा प्रदाता यथा अकाउंटेंट/ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, अभिभाषक और शिल्पक इत्यादि के रूप में पेशेवर सेवा का कार्य नहीं करेगा;
  - (5) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सेवा के सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले निर्बंधन एवं शर्तों का पालन करेगा;
  - (6) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और इनके अधीन जारी नियमों के अन्तर्गत, अध्यक्ष, संबंधित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग, जयपुर, तथा राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।  
उक्त शर्त की अवहेलना किये जाने पर ऐसे व्यक्ति को उसके धारित पद से हटाया जा सकेगा।
7. राज्य सरकार, उक्त नियुक्त व्यक्तियों के उक्त पदस्थापन के अलावा अन्य जिला आयोग के कार्य को भी संपादित करने के लिए अधिकृत कर सकेगी।
  8. उक्त नियुक्त व्यक्तियों की सेवा के अन्य निर्बंधन एवं शर्तें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 एवं उनके अधीन बनाये गए नियमों के प्रावधानों में विनियमित होगी। उक्त नियुक्त व्यक्तियों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधान के अनुसार पद से हटाया जा सकता है।
  9. उक्त नियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति की उस अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में अपने पद का कार्याभार ग्रहण कर इस कार्यालय को और रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग, राजस्थान, जयपुर को तत्काल अवगत कराना होगा, अन्यथा ऐसा करने में विफल रहने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में नियुक्ति का यह आदेश स्वतः ही विरस्त माना जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

  
(अमय कुमार)

अतिरिक्त मुख्य सचिव  
(उपभोक्ता मामले)

प्रतिनिधि निर्वाचित को सूचनार्थ

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर / जोधपुर।
6. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, जयपुर।
7. समस्त अनिश्चित मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
8. सहायक सचिव परीक्षक, (सहायक सचिव), राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (उपभोक्ता मामले विभाग), श्रृषि भवन, नई दिल्ली।
10. निजी सचिव, अनिश्चित मुख्य सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
11. निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
12. संजीवक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, जयपुर।
13. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, समस्त।
14. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर।
15. द्वितीय सहायक, खाद्य विभाग, जयपुर।
16. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
17. समस्त जिला कलेक्टर/जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
18. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग/उपभोक्ता मामले विभाग को राजस्थान के राजट में आज ही प्रकाशित करवाने के लिए।
19. संबंधित .....
20. रक्षित पत्रावली।



(कालूराम)

निदेशक

उपभोक्ता मामले

शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र

मैं विधिवत प्रमाणित करता हूँ कि मैंने श्री/श्रीमती/सुश्री.....  
की जांच की है और मैंने उनमें ..... के सिवाये कोई बीमारी  
(संकमक अथवा अन्यथा), शारीरिक निर्बलता अथवा शारीरिक अशक्तता नहीं पाई  
है। मैं इसे राज्य/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग में चार वर्ष की अवधि  
अथवा पैंसठ वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक सदस्य के रूप में नियोजन के  
लिए उनकी अनर्हता नहीं मानता हूँ।

तारीख.....

अभ्यर्थी हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

पदनाम

(सिविल सर्जन/जिला चिकित्सा अधिकारी)

राजस्थान सरकार  
उपभोक्ता मामले विभाग

एफ 89(46) उ.मा.वि./भर्ती प्रकोष्ठ/2022

जयपुर, दिनांक: 13/03/2023

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा-28 उप धारा (2) खण्ड (ख) के अन्तर्गत और उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाता) नियम, 2020 के नियम 06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा जयपुर महानगर मण्डल की अभिभाषा के आधार पर निर्माणाधीन व्यक्तियों को उनके सम्मुख अंकित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग (जिला आयोग) का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त करती है :-

क्र.सं.	चयनित सदस्य का नाम	पुरुष/महिला	नाम जिला आयोग
1.	श्री कमलेश शर्मा	पुरुष	वांसवाड़ा
2.	श्री कमल कुमार	पुरुष	हनुमानगढ़
3.	श्रीमती हेमलता अग्रवाल	महिला	जयपुर प्रथम
4.	श्रीमती अर्पणा पाराशर	महिला	सवाईमाधोपुर
5.	श्री वीरन्द्र सिंह रावत	पुरुष	झालावाड़
6.	श्रीमती सरीना पासीक	महिला	बाड़मेर
7.	श्री सुरेन्द्र चतुर्वेदी	पुरुष	करोली
8.	श्री अनिल कुमार देन	पुरुष	प्रतापगढ़


उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों एवं निबंधनों के अधीन होंगी :-

- उक्त नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा अन्य आदेश तक जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये है।
- उक्त नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले, -
  - अपनी संपत्ति और अपनी दैनंदिनियों और वित्तीय और अन्य दायित्वों की घोषणा करेगा;
  - उसकी मेडिकल फिटनेस के सम्बन्ध में निर्धारित संलग्न प्रपत्र में जिला स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के सिविल सर्जन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मूल शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा;
  - अपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे, जिनमें अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो;
  - यदि अभिभाषक वर्ग में है तो कार्यभार संभालने की तिथि से पूर्व एवं नियुक्ति अवधि के दौरान तक भी अवधि के लिये अपनी सन्दर्भ/रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र का निलंबन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा;
  - यदि किसी शासकीय आयोग/न्यायाधिकरण में किसी पद पर नियुक्त होकर कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी में जारी मूल अदापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा;
  - उसकी जन्मतिथि के समर्थन में मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रस्तुत करेगा और मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कराएगा; और
  - निर्धारित प्रपत्र में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और सदस्यता लेगा।
- उक्त नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को मानदेय/वेतन और भत्ते, भूकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ते तथा चिकित्सा उपचार हेतु अवकाश और अस्पताल की सुविधा इत्यादि Rajasthan Consumer Protection (Salary, Allowances and Conditions of Service of the President and Members of the State Commission and District Commission) Rules, 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत में देय होंगे;
- उक्त नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, -
  - राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों के लिए निर्धारित प्रत्येक कार्य दिवस के दौरान कार्यकारी समय में उसके पदस्थापन कार्यालय में उपस्थित रहेगा;
  - बिना अवकाश स्वीकृत कराए अथवा बिना सूचना स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं रहेगा।
- उक्त नियुक्त व्यक्तियों में से अभिभाषक वर्ग का व्यक्ति उसकी नियुक्ति के कार्यकरण या नियुक्ति अवधि के दौरान तथा पद से हटने के बाद, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला आयोग के समक्ष वह अभिभाषक की हैसियत में कार्य (प्रेक्टिस) नहीं करेगा।
- उक्त नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, उसकी नियुक्ति के कार्यकरण या नियुक्ति अवधि के दौरान और उसके पदस्थापन की क्षमताओं में कार्य करते हुए, -
  - कोई लाभ का पद अथवा अन्य नियुक्ति ग्रहण नहीं करेगा;
  - यदि पूर्व में ही किसी लाभ के पद अथवा सेवा में नियोजित है, तो वह इस प्रकार के पद अथवा नियुक्ति पर कार्य नहीं करेगा;
  - कोई सहायता कार्य नहीं करेगा;
  - किसी भी व्यावसायिक सेवा प्रदाता यथा अकाउंटेंट/ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, अभिभाषक और शिक्षक इत्यादि के रूप में पेशेवर सेवा का कार्य नहीं करेगा;
  - राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सेवा के सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले निबंधन एवं शर्तों

का पालन करेगा;


- (6) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उनके अधीन जारी नियमों के अन्तर्गत, अध्यक्ष, संबन्धित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग, जयपुर, तथा राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।  
उक्त शर्त की अवहेलना किये जाने पर ऐसे व्यक्ति को उसके धारित पद से हटाया जा सकेगा।
7. उक्त नियुक्त व्यक्तियों की सेवा के अन्य निर्बंधन एवं शर्तें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 एवं इनके अधीन बनाये गए नियमों के प्रावधानों से विनियमित होगी। उक्त नियुक्त व्यक्तियों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधान के अनुसार पद से हटाया जा सकता है।
8. उक्त नियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति की इस अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर इस कार्यालय को और रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग, राजस्थान, जयपुर को तत्काल अवगत कराना होगा, अन्यथा ऐसा करने में विफल रहने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में नियुक्ति का यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

  
(अनंद कुमार)

अतिरिक्त मुख्य सचिव  
(उपभोक्ता मामले)

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर / जोधपुर।
6. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग, जयपुर।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
8. महालेखाकार परीक्षक, (महालेखाकार), राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
10. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
11. निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
12. पंजीपक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग, जयपुर।
13. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग, समस्त।
14. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर।
15. विनीय सहायकार, खाद्य विभाग, जयपुर।
16. समस्त संगीय आयुक्त, राजस्थान।
17. समस्त जिला कलेक्टर/जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
18. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग/उपभोक्ता मामले विभाग को राजस्थान के राजट में आज ही प्रकाशित करवाने के लिए।
19. संबंधित .....
20. रक्षित पत्रावली।

  
(कालूराम)  
निदेशक  
उपभोक्ता मामले

शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र

मैं विधिवत प्रमाणित करता हूँ कि मैंने श्री/श्रीमती/सुश्री.....  
की जांच की है और मैंने उनमें ..... के सिवाये कोई बीमारी  
(संक्रमक अथवा अन्यथा), शारीरिक निर्बलता अथवा शारीरिक अशक्तता नहीं पाई  
है। मैं इसे राज्य/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोप आयोग में चार वर्ष की अवधि  
अथवा पैंसठ वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक सदस्य के रूप में नियोजन के  
लिए उनकी अनर्हता नहीं मानता हूँ।

तारीख.....

अभ्यर्थी हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

पदनाम

(सिविल सर्जन/जिला चिकित्सा अधिकारी)